सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/ATY-1802/MP/463/2024-RO-BH**

दिनांक: 20.07.2026

कलेक्टर एंव जिलाधिकारी,
जिला-सिंगरौली,
कलेक्टर कार्यालय,
सिंगरौली, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmsingrauli@mp.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-सिंगरौली,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
सिंगरौली, मध्य प्रदेश
ई-मेल: sp_singrauli@mppolice.gov.in

विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर ''सब्जी खरीदने के विवाद में वनरक्षक को पिकअप से टक्कर मारी, फिर एक किमी घसीटकर हत्या'' के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या - NCST/ATY-1802/MP/463/2024-RO-BH

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के आधार पर जिला-सिंगरौली के चितरंगी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वनरक्षक श्री शीतल सिंह गोंड की हत्या के संबंध में दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. प्रकरण दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। प्रकाशित समाचार के अनुसार जिला-सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दरबारी में वनरक्षक श्री शीतल सिंह गोंड की निर्मम हत्या किए जाने की घटना प्रकाश में आई। समाचार के अनुसार दिनांक 13.08.2024 को प्रातःकाल वनरक्षक श्री शीतल सिंह गोंड अपने कार्यस्थल की ओर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी दरबारी बनियानाला के समीप पीछे से आ रहे पिकअप वाहन चालक द्वारा उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई।
3. प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रथम टक्कर के उपरांत मोटरसाइकिल के पीछे बैठे चौकीदार अशोक नीचे गिर गए, जबकि वनरक्षक श्री शीतल सिंह गोंड वाहन में फंस गए। आरोप है कि इसके पश्चात आरोपी चालक पुनः वाहन मोड़कर लौटा और जानबूझकर दोबारा टक्कर मारी, जिससे वनरक्षक वाहन में फंस गए तथा आरोपी उन्हें लगभग एक किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस घटना में वनरक्षक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। समाचार में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के विरोध में परिजनों एवं स्थानीय लोगों द्वारा धरना एवं प्रदर्शन किया गया।
4. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 27.09.2024 को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली को नोटिस जारी किया गया। इसके प्रत्युत्तर में पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 12.08.2024 को दूहा बाजार में मृतक शीतल सिंह गोंड एवं आरोपी कमलेश साकेत के मध्य विवाद हुआ था।
5. प्रतिवेदन के अनुसार उक्त विवाद की रंजिश के चलते दिनांक 13.08.2024 को आरोपी कमलेश साकेत द्वारा अपने पिकअप वाहन से जानबूझकर शीतल सिंह गोंड की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई। घटना के दौरान मृतक को लगभग आधा किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मामले में थाना चितरंगी में मर्ग क्रमांक 96/2024 तथा अपराध क्रमांक 326/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
6. पुलिस प्रतिवेदन में यह भी अवगत कराया गया कि विवेचना के दौरान आरोपी कमलेश साकेत पिता बलदेव साकेत निवासी जिला-सिंगरौली के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए। आरोपी को दिनांक 14.08.2024 को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उसका मेमोरण्डम लेखबद्ध किया गया तथा उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन जप्त किया गया। इसके उपरांत आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
7. सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों (उपस्थिति पंजिकानुशार) द्वारा आयोग को प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि घटना के तत्काल पश्चात विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में आवश्यक विवेचना की गई। वर्तमान समय प्रकरण में चालान न्यायालय में पेश हो चुके हैं तथा आरोपी जेल में है।

ASA

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

8. आयोग ने उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया। आयोग ने पाया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित वनरक्षक की मृत्यु अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृति की घटना है। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है तथा घटना में प्रयुक्त वाहन भी जप्त किया गया है।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत आयोग ने निम्न अनुशंसा की –

(i) प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा कार्रवाई से अध्यक्ष महोदय ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रकरण की पत्रावली को बंद करने का आदेश दिया।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/ATY-1802/MP/463/2024-RO-BH

दिनांक: 16.06.2026

विषय: दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "सब्जी खरीदने के विवाद में वनरक्षक को पिकअप से टक्कर मारी, फिर एक किमी घसीटकर हत्या" के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एंव जिलाधिकारी, जिला-सिंगरौली,
कलेक्टर कार्यालय, सिंगरौली, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	कमलेश कुमार मिश्रा	नायब तहसीलदार	9752201892	[signature]
2				
3				
4				

पुलिस अधीक्षक, जिला-सिंगरौली,

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सिंगरौली, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				